10	11	12	13	14
		Direct recruits under column 8. The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointments by promotion. (The period of deputation including the period in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.) The Departmental Data Entry Operator Grade 'C' with three years regular service in the grade shall also be considered and in case he is selected for appiontment to the post, the post shall be deemed to have been filled by promotion.		

[F.No. 12018/6/98-E-IV]
GOPAL DASS, Under Secy

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2000

सा. का. नि. 297.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, अनुसंधान सहायक (इंजीनियरी/वैज्ञानिक पद) समूह 'ख' (संशोधन) भर्ती नियम, 1992 का और संशोधन करने के लि निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, अनुसंधान सहायक (इंजीनियरी/वैज्ञानि पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2000 हैं।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, अनुसंधान सहायक (इंजीनियरी/वैज्ञानिक पद) भर्ती नियम, 1992 की विद्यमान अनुसूची स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	योग्यता के आधार पर चयन या चयन-सह-ज्येष्ठता अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. अनुसंधान सहायक (इंजीनियरी)	77* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	6500-200-10500 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए अनुसार, अनुसूचित जातियों/अनु-	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6
					सूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और कतिपय अन्य श्रेणियों के लिए शिथिल की जा सकती हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किसी अन्य शिथिलता के साथ संचित रूप से शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
8	9	10	11
आवश्यक— किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य। टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: इंजीनियरी की विशिष्ट शाखा भर्ती के समय आवश्यकतानुसार विनिर्दिष्ट की जाएगी।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा

116

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13	14
लागू नहीं होता	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे : (1) निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे—अध्यक्ष (2) निदेशक/उपसचिव, भारसाधक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, जल संसाधान मंत्रालय —सदस्य (3) संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
अनुसंधान सहायक (वैज्ञानिक)	46* (2000) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	6500-200-10,500 रु.	चयन-सह-ज्येष्ठता	30 वर्ष से अधिक नहीं। सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए अनुसार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और कतिपय अन्य श्रेणियों के लिए शिथिल की जा सकती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए किसी अन्य शिथिलता के साथ संचित रूप से शिथिल की जा सकती है। टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल	लागू नहीं होता

भर्ती सीधे होगी या ... तिनियुक्ति/आमेलन ... पद्धतियों द्वारा भी ... प्रतिशतता

1	2	3	4	5	6
					प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई' है।) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8	9	10	11
आवश्यक— किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य। टिप्पणी : विज्ञान का विशिष्ट विषय भर्ती के समय आवश्यकतानुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा।	नहीं	दो वर्ष	(i) 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (ii) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

12	13	14
प्रोन्नति : ऐसा प्रयोगशाला सहायक, श्रेणी-I जिसने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे : (1) निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे—अध्यक्ष (2) निदेशक/उपसचिव, भार-साधक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य (3) संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे—सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 2/18/98-ई-II]

वी.के. त्रिखा, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा. का. नि. 1123, तारीख 27-10-1984 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा. का. नि. 603 तारीख 23-7-1988 और सा. का. नि. 465 तारीख 17-10-1992 द्वारा उनमें संशोधन किए गए।

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 13th July, 2000

G.S.R. 297.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station,

(118)

Research Assistant (Engineering/Scientific posts) Group 'B' (Amendment) Recruitment Rules, 1992 namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Water and Power Research Station, Pune, Research Assistant (Engineering Scientific posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Central Water and Power Research Station, Pune, Research Assistant (Engineering/Scientific posts) Recruitment Rules, 1992 for the existing "Schedule", the following "Schedule", shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection merit or Selection cum seniority or Non Selection post
1	2	3	4	5
1. Research Assistant (Engineering)	77* (2000) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 6500-200-10500	Not applicable

Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service is admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
6	7	8	9
Not exceeding 30 years, relaxable for Government servants upto 5 years. Relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Government from time to time. Relaxable cumulatively with any other relaxation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes. Note : The crucial date for determining age limit will be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep).	Not applicable	Essential : Degree in Engineering from a recognized University or equivalent Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified. Note : The particular branch of Engineering shall be specified according to requirements at the time of recruitment.	Not applicable

6	7	8	9
In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.			

Period of probation, if any	Method of Recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by Deputation/Absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13	14
Two years	By direct recuitment (i) By Promotion failing which by Direct recuit-ment 10% (ii) By Direct recruitment—90%	Not applicable	Group "B" Departmental Promotion Committee : 1. (1) Director, Central Water and Power Research Station, Pune—Chairman (2) Director/Deputy Secretary, In-Charge of Central Water and Power Research Station in Ministry of Water Re-sources—Member (3) Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune—Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

1	2	3	4	5
2. Research Assistant (Scientific)	46* *(2000) Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 6500-200-10500	Selection-cum-seniority

6	7	8	9
Not exceeding 30 years, relax-able for Government servants upto 5 years. Relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Central Govern-ment from time to time. Relaxable cumulatively with any other relaxation for Scheduled	Not applicable	Essential : Masters' degree in science from a recognized University or equivalent. Note 1 : Particular subject of Science shall be specified according to requirements at the time of recuitment.	No

6	7	8	9
Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes. Note : The crucial date for determining age limit will be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep). In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.			

10	11	12	13	14
Two years	By direct recruitment (i) By Promotion failing which by Direct recruitment—10 % (ii) By Direct recruitment—90%	2. Promotion : Laboratory Assistant Grade I with 8 years regular service in the grade. Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.	Group "B" Departmental Promotion Committee : 1. (1) Director, Central Water and Power Research Station, Pune—Chairman (2) Director/Deputy Secretary, In-Charge of Central Water and Power Research Station in Ministry of Water Resources—Member (3) Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune—Member.	Consul[illegible] with U[illegible] Public Comm[illegible] not nec[illegible]

Left page fragments: Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment — 14 — Consultation with Union Public Service Commission not necessary. — 5 — Sel[illegible]-cum-seniority — 9 — No

[F. No. 2[illegible]]
V.K. TRIKHA,

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 1123 dated 27-10-1984 and su[illegible] amended vide G.S.R. No. 603 dated 23-7-1988 and G.S.R. No. 465 dated 17-10-1992.

[20(a)]

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2003

सा. का. नि. 194.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, अनुसंधान सहायक (इंजीनियरी/वैज्ञानिक पद) भर्ती नियम, 1984 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, अनुसंधान सहायक (इंजीनियरी/वैज्ञानिक पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, अनुसंधान सहायक (इंजीनियरी/वैज्ञानिक पद) भर्ती नियम, 1984 की अनुसूची में,—

(क) अनुसंधान सहायक (इंजीनियरी) के पद से संबंधित क्रम सं. 1 के सामने स्तम्भ 11 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"सीधी भर्ती द्वारा"

(ख) अनुसंधान सहायक (वैज्ञानिक) के पद से संबंधित क्रम सं. 2 के सामने स्तम्भ 11 में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(i) दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(ii) नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा"।

[सं. 2/18/1998-ई-II]

गोपाल दास, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 21st April, 2003

G.S.R. 194.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Water and Power Research Station, Pune, Research Assistant (Engineering/Scientific Posts) Recruitment Rules, 1984, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Water and Power Research Station, Pune, Research Assistant (Engineering/Scientific Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Water and Power Research Station, Pune, Research Assistant (Engineering/Scientific posts) Recruitment Rules, 1984,—

(a) against Sl. No. 1 relating to the post of Research Assistant (Engineering), for the entry in column 11, the following entry shall be substituted, namely :—

"By direct recruitment"

(b) against Sl. No. 2 relating to the post of Research Assistant (Scientific), for the entry in column 11, the following entry shall be substituted, namely :—

"(i) Ten per cent by promotion failing which by direct recruitment.

(ii) Ninety per cent by direct recruitment".

[No. 2/18/1998-E-II]

GOPAL DASS, Under Secy.

Foot note : The Principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR 1123 dated the 27th October, 1984 and amended vide numbers GSR 603 dated the 23rd July, 1998, GSR 465 dated the 17th October, 1992 and GSR 297 dated the 13th July, 2000.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.